

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- स्वा./क्षय/संस्था/(224)/2019/


दिनांक:-

आदेश

श्री शिवसिंह, टी.बी.एच.वी. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, टी.बी. क्लिनिक, सवाई माधोपुर, जिनकी जन्मतिथि दिनांक 05.07.1959 है, को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.07.2019 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवसिंह टी.बी.एच.वी. के विरुद्ध आज दिनांक तक-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई भी विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

  
(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- स्वा./क्षय/संस्था/(224)/2019/291

दिनांक:- 23/4/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
- 2 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन- भरतपुर।
- 3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर को उनके पत्र क्रमांक 263 दिनांक 26.02.2019 के क्रम में।
- 4 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, टी.बी. क्लिनिक, सवाई माधोपुर, को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक के सेवानिवृत्ति से पूर्व नोड्यूज एवं रिकवरी की सूचना प्राप्त कर, पेंशन प्रकरण समय पर तैयार कर, पेंशन विभाग को भिजवाते हुए निदेशालय को अवगत करावे।
- 4 श्री शिवसिंह, टी.बी.एच.वी. द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 5 प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
- 6 आदेश पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।